

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज</p> <p>न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 31/2019 अंतर्गत धारा-90-ए(9) एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2019/00195)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> विशाल तंवर पुत्र चन्द्रप्रकाश तंवर जाति तंवर निवासी हरिशमजी के मंदिर के पास, पुरानी लेन, गंगाशहर, बीकानेर। <p>बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर। दुलीचंद गहलोत पुत्र माणकलाल गहलोत निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर। <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट संख्या 2 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने व विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु दिनांक 06.02.2023 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये और न ही आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को सुनाया गया।</p>	<p>नोट व तारीख अदकाम को इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
--------------------	--	--



(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर